भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2233

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पेंशनभोगियों के लिए सीजीएचएस सुविधाएं

†2233. श्री बिष्णु पद रायः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने देश में संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सभी पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के समान केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं देने का कोई प्रस्ताव है/निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तक इस फैसले को लागू न करने के क्या कारण हैं और सरकार के फैसले को लागू करने में देरी के लिए कौन प्राधिकारी ज़िम्मेदार है; और

(ग) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संसद सदस्य ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के ध्यान में लाकर इसे जल्द लागू करने की मांग की है और यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) सरकार ने दिल्ली को छोड़कर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगियों को सीजीएचएस संबंधी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। सीजीएचएस की सुविधाएं केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के समान ही प्रदान की जाएंगी, बशर्ते प्रचलित सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक सदस्यता शुल्क का भुगतान किया जाए और संघ राज्य क्षेत्र के पेंशनभोगी किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना से चिकित्सा लाभ न ले रहे हों।

नए सीजीएचएस आरोग्य केंद्र खोलने के लिए मौजूदा मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम 2500 मुख्य सीजीएचएस कार्डधारक या 6000 सीजीएचएस लाभार्थियों का होना शामिल हैं, जो संसाधनों की उपलब्धता, उपयुक्त आवास, चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्टों, स्टाफ नर्स, लिपिक स्टाफ आदि के पदों के सृजन के अध्यधीन हैं। इन आरोग्य केंद्रों को खोलने के लिए पदों का अनुमोदन और निधि का आवंटन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के क्षेत्राधिकार में है। न्यूनतम वित्तीय निहितार्थों में प्रति वर्ष 4.8 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय और 0.75 करोड़ रुपये से 1.00 करोड़ रुपये का एकमुश्त गैर-आवर्ती व्यय शामिल है, जिसके लिए अनुमोदन आवश्यक है।

*****